

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या - 8936/2018
प्रार्थी :- बनाम

अप्रार्थीगण :-

मिसाराम पुत्र आसूराम जाति मोची
(फौत) के कायम मुकाम :-
1/1 लक्ष्मीदेवी पत्नि मिसाराम
1/2 पारसराम पुत्र मिसाराम
1/3 मुकेश पुत्र मिसाराम
1/4 मानाराम पुत्र मिसाराम
1/5 रामरख पुत्र मिसाराम
1/6 हड़मानराम पुत्र मिसाराम
1/7 कमला पुत्री मिसाराम
1/8 रामी पुत्री मिसाराम
सभी जातियान मोची सभी
निवासीयान बोरुन्दा तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

1. पेमाराम पुत्र आसूराम
2. हीरालाल पुत्र आसूराम
3. खीवराम पुत्र घेवरराम
सभी जातियान मोची
निवासीयान बोरुन्दा तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
4. तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, व 131 राजस्थान भू. राजस्व
अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री जेठाराम चौहान वादीगण की ओर से
श्री रामदयाल चौधरी प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 30.08.2019

वादीगण ने एक वाद पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक से तीन आपस में एक ही परिवार के व्यक्ति हैं एवं काश्तकार्य करके अपना जीवनयापन करते आ रहे हैं । प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक से दो व तीन के पिता की आवंटनसुदा भूमि ग्राम बोरुन्दा के खसरा नम्बर 80 में स्थित है । ग्राम बोरुन्दा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 80 में से दिनांक 14.06.1968 को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक व दो व तीन के पिता चारो भाईयो के नाम तीन-तीन बीघा भूमि आवंटन हुई । आदेश के अनुसार प्रार्थी के नाम म्युटेशन सं. 674 खसरा नम्बर 80 रकबा 3 बीघा गै.मु.खातेदार के रूप में दर्ज हुआ तत्पश्चात् म्युटेशन सं. 1666 के जरीये प्रार्थी को खसरा नम्बर 80/3 रकबा 3 बीघा की खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये । जिनकी म्युटेशन की नकले प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश हैं । इसके पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने प्रार्थी के आवंटन वाली भूमि खसरा नम्बर 80/3 के स्थान पर 80/15 दुरुस्त कर इन्द्राज कर दिया । जबकि प्रार्थी का शुरु से ही खसरा नम्बर 80 की जमीन पर 5 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है उक्त कब्जा को नियमित करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने सम्वत् 2036 से 2039 की चौसाला जमाबन्दी में 5 बीघा भूमि दर्ज कर ली गयी थी । लेकिन नक्शा में तरमीम नहीं की गयी । प्रार्थी व अप्रार्थीगण के कब्जा

उपखण्ड अधिकारी

काशत वाली आवंटनसुदा जमीन पर संलग्न नक्शा के मुताबिक कब्जा काशत रहा है। प्रार्थी ने अपने आवंटनसुदा भूमि खसरा नम्बर 80/15 रकबा 5 बीघा में से एक बीघा जमीन पारिवारिक सेटलमेंट के तहत अप्रार्थी सं. दो को दे दिया एवं बैचान रजिस्ट्री निष्पादित करवा दी जिसका प्रार्थी संख्या दो के नाम उक्त जमीन खसरा नम्बर 80/15/1 दर्ज हुई है जो प्रार्थी के खेत के दक्षिण तरफ वाली है। जिस पर अप्रार्थी सं. दो ने उक्त जमीन को अपने आवंटनसुदा जमीन 80/14 में मिला ली। अप्रार्थी सं. एक ने श्रीमान न्यायालय हाजा में एक बदनियती पूर्वक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेश कर प्रार्थी की आवंटनसुदा जमीन 80/15 रकबा 5 बीघा में से 2 बीघा कटवा दी, जबकि उस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था बाले बाले माननीय न्यायालय से निर्णय पारित करवा लिया। जबकि प्रार्थी का आज दिन भी मौके पर 4 बीघा जमीन पर कब्जा काशत है जो संलग्न नक्शानुसार है। प्रार्थी व अप्रार्थी का आवंटनसुदा भूमि के पश्चिम तरफ चिपते ही खसरानम्बर 80/31 रकबा 10 बीघा जमीन आयी हुई है जिस पर बहूत ही पुराना कुआ खुदा हुआ है व पानी का हौज व दो कमरे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक अप्रार्थी सं. तीन के शामलाती बने हुए हैं उक्त खसरे में पहले पुरखाराम भंवरिया का भी हिस्सा था जो इकाररनामा प्रार्थी व प्रेमराम व घेवरराम को बैचान कर दिया जिसकी लिखित की फोटो प्रति संलग्न है उक्त खसरे पर खुदे हुए कुएं पर विद्युत संबंध भी ले रखा जो अप्रार्थी प्रेमराम के नाम से था जबकि विद्युत कनेक्शन तीनो भाईयो के शामलाती ही था जिसकी लिखित की फोटो प्रति संलग्न है उक्त खसरा की भी तरमीम नहीं कर रखी थी। खसरानम्बर 80/31 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 3 के मकान व बाड़े वगैरह बने हुए हैं। खसरा नम्बर 80/31 व खसरा नम्बर 91 के बीच खसरानम्बर 80/12 की करीब 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का मकान व कब्जाकाशत पिछले 30-35 वर्षों से है खसरा नम्बर 80/2 भगवानराम पुत्र कालूजी का था जो प्रार्थी को बदले में दिया हुआ था। खसरा नम्बर 92 वाली भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से थी जो पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार प्रतिवादी सं. दो के बंट में रखी गयी व उक्त खसरे के उत्तरी माठ पर शामलाती रास्ता छोड़ा हुआ है तो रास्ता आगे खसरा नम्बर 91/1 की दक्षिणी माठ पर से होता हुआ खसरा नम्बर 80/31 के बीच में से होता हुआ कुएं तक आता है जो रास्ता शामलाती ही कदीम से स्थित है जो संलग्न नक्शा में भी दर्शाया हुआ है कुएं से आगे उक्त रास्ता आवंटनसुदा जमीन के पश्चिमी तरफ सहारे सहारे से होकर आगे आम रास्ता से मिलता है जिसको भी नक्शा में दर्शाया हुआ है। न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा के वाद सं. 12/02 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2004 में अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करके खसरानम्बर 80/31 की तरमीम प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कोई तरमीम नहीं की एवं प्रार्थी के आवंटन वाली जमीन खसरा नम्बर 80/31 वाली

उपखण्ड अधिकारी

पीपारु शहर (जोधपुर)

जमीन के दक्षिण तरफ से किया गया उसकी सही तरमीम दर्शादी उसके खसरा नम्बर 80/15/1 है जबकि आज भी प्रार्थी का खसरा नम्बर 80/15/1 के उत्तर में खसरा नम्बर 8015 की चार बीघा जमीन पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग है इस प्रकार गलत तरमीम करते हुए प्रार्थी की आवंटन वाली भूमि दो जगह दर्शा दी है इसी प्रकार खिवराज के पिता के नाम आवंटन वाली भूमि खसरा नम्बर 80/16 को खसरानम्बर 80/31 में दो जगह दर्शा दी है जो तरमीम सरासर गलत है । अप्रार्थीगण ने राजस्व ट्रेस नक्शा में मिली भगत कर सम्पूर्ण तरमीम को गलत रूप से तरमीम करवा दी है । जिसको प्रार्थी दुरुस्त करवाकर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त के अनुसार संलग्न नक्शा के अनुसार पुनः तरमीम करवाने का अधिकारी है । जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश है संलग्न नक्शा के अनुसार ही तरमीम दुरुस्त कर इन्द्राज करें। संलग्न नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ट्रेस नक्शा में तरमीम को दुरुस्त कर संलग्न नक्शा के अनुसार पुनः किये जाने का आदेश फरमावे ।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी पेमाराम, हीरालाल, खीवराज की ओर से अधिवक्ता रामदयाल चौधरी ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1, 2 व 3 तीन के पिता के ग्राम बोरुन्दा में खसरा नम्बर 80 में तारीख 14.06.1968 को 3 बीघा जमीन एलोट हुई थी एवं उन्हें गैर खातेदारी के रूप में दर्ज किया गया था म्युटेशन सं. 1666 के जरीये खसरा नम्बर 80/3 रकबा 3 बीघा के खातेदारी अधिकार प्रार्थी को अवश्य प्राप्त हुए थे । मगर प्रार्थी ने राजस्व अधिकारीयो की मिली भगत से खसरा नम्बर 80 की 5 बीघा जमीन 3 बीघा के स्थान पर गलत तरमीम करवा दी । एवं 5 बीघा जमीन की खातेदारी प्रार्थी ने अपने नाम गलत दर्ज करवा दी । प्रार्थी ने खसरानम्बर 80/15 जिसे पूर्व में 80/3 बताया गया है गलत खातेदारी दर्ज करवाने से एक बीघा जमीन अप्रार्थी सं. 2 के नाम बैचान रजिस्ट्री अवश्य कराई थी। जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम खसरा नम्बर 80/15/1 बताई गई है। जो जमीन दक्षिण तरफ में न होकर पश्चिम तरफ अप्रार्थी सं. 2 की जमीन के चिपता है एवं आवंटन सुदा जमीन खसरा नम्बर 80/14 में मिला दी । अप्रार्थी सं. एक ने माननीय न्यायालय में पूर्व में धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र अवश्य पेश किया था । जिसमें प्रार्थी के विरुद्ध अप्रार्थी सं. एक के पक्ष में जमीन खसरा नम्बर 80/15 में संशोधन अवश्य किया था तथा प्रार्थी को एलॉटसुदा जमीन जो कि खसरा नम्बर 80 मौजूदा प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में वर्णित अनुसार प्रार्थी 3 बीघा का ही हकदार था व पूर्व में धारा 136 के प्रार्थना पत्र मुताबिक 3

उपस्थित अधिकारी
प्रीतिशरण (सुदा)

बीघा जमीन प्रार्थी के पक्ष में रखी गयी एवं उसी अनुसार प्रार्थी का कब्जा काशत है । प्रार्थी 4 बीघा जमीन का हकदार ही नहीं था । खसरा नम्बर 80/31 रकबा 10 बीघा जमीन अवश्य आई हुई है जिस जमीन में पहले पुरखाराम भंवरिया का हिस्सा अवश्य था जिसे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक से तीन ने खरीद की थी । जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. एक से तीन के मकान, बाड़ें अवश्य बने हुए हैं । सम्पूर्ण जमीन प्रार्थी ने अपने हिस्से में से अप्रार्थी सं. दो हिरालाल को एक बीघा जमीन बैचान कर दी थी । उक्त एक बीघा जमीन प्रार्थी हिरालाल को तीन बीघा जमीन जो 1968 में एलॉट हुई थी उसमें से एक बीघा जमीन बैचान कर दी थी । शेष जमीन प्रार्थी के पास दो बीघा ही बची अप्रार्थी सं. एक पेमाराम ने जो पूर्व में धारा 136 एल.आर.एक्ट की माननीय न्यायालय में कार्यवाही की थी उसमें राजस्व रेकॉर्ड में गलती से प्रार्थी के नाम 3 बीघा एलॉटसुदा जमीन के स्थान पर 5 बीघा दर्ज कर लिया था जिसे दुरुस्त किया गया था । आपसी बंटवाड़े में नहीं देकर मिसाराम ने हिरालाल को एक बीघा जमीन अवश्य बैची थी जिसका वर्णन उपर किया जा चुका है तथा जो रास्ता बताया गया है व आज दिन कायम है । न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के वाद सं. 12/02 के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अधिकारियों ने खसरा नम्बर 80/31 की जमीन व खसरा नम्बर 91/1 की जमीन को मौके पर एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार एवं निर्णय के अनुसार सही तरमीम किया था । प्रार्थी पूर्व में बैची गयी जमीन व अपने नाम गलत दर्ज करवाई जमीन को हड़पना चाहता है । इस कारण यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है । मौके पर पक्षकारान के कब्जे अनुसार एवं राजस्व न्यायालय के आदेश के निर्णय व डिक्री के अनुसार मौके पर रूबरू पक्षकारान नाप करके प्रस्तावित नक्शा तैयार करके तरमीम की थी । तथा अप्रार्थी सं. एक ने पूर्व में खसरा नम्बर 80 जिसमें प्रार्थी तीन बीघा का हकदार था सेवन से 5 बीघा दर्ज करा दी थी जिस जमीन को धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत सही तौर पर दर्ज कराया एवं तरमीम कराया था । जो नक्शा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है वह नक्शा कतई उचित नहीं है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे हर्जे के साथ खारिज किया जावे ।

इसी प्रकार तहसीलदार बिलाड़ा ने प्रार्थना पत्र का जवाब बिन्दुवार प्रस्तुत है :-
पटवारी जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा बोरुन्दा के खसरा नम्बर 80/3 में से रकबा 3 बीघा भूमि की गैर खातेदारी अधिकार थी मिसाराम पुत्र आसुराम बोरुन्दा को दिये गये । जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2036 से 2039 में खाता नं 1180 में खसरानम्बर 80/3 रकबा 5.00 बीघा दर्ज हो गया । जो माननीय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के प्रार्थना पत्र सं. 50/2002 निर्णय दिनांक 11.09.2002

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (बोधपुर)

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत किया जाकर शुद्धि का नामान्तरण सं. 4438 भरा जाकर शुद्धि 5 बीघा के स्थान पर 3 बीघा की गयी। आवंटित भूमि में से 1 बीघा भूमि हीराराम पुत्र आसुराम मोची बोरुन्दा को बैचान कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी शेष खसरा नम्बर 80/3 में से 2 बीघा का अधिकारी है। माफिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के प्रकरण सं. 50/2002 निर्णय दिनांक 11.09.2003 के अनुसार पूर्व निर्णय अनुसार 80/3 को 80/15 की शुद्धि की गयी है इसी माफिक राजस्व रेकॉर्ड में 80/15 रकबा 2 बीघा प्रार्थी भीसाराम के नाम दर्ज है व कब्जा काश्त एवं मकान बना हुआ है। पक्षकारान अपने-अपने सवृत साक्ष्य पेश कर साबित करावें। पटवारी रिपोर्ट मौका फर्द अनुसार खसरा नम्बर 80/15 रकबा 2 बीघा पर भीसाराम मोची का कब्जा है तथा रहवासी मकान बना है। खसरा नम्बर 80/15/1 रकबा 1 बीघा पर हरीराम मोची का कब्जा काश्त है पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट मय फर्द मौका साथ पेश है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस मामले से संबंधित पूर्व में श्रीमान न्यायालय हाजा के द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 50/2002 निर्णय दिनांक 11.09.2002 के द्वारा आवश्यक शुद्धि अन्तर्गत 136 एल.आर.एक्ट के तहत निर्णय किया जा चुका है अब प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये दुबारा रिलीफ पाने का हकदार नहीं है मौका रिपोर्ट, मौका फर्द व नजरी नक्शा की रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

इसी प्रकार नायब तहसीलदार विलाड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट ली गयी जिसमें उन्होंने रिपोर्ट की है कि बोरुन्दा की विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 80 की मौके पर वादी एवं प्रतिवादी की मौजूदगी में मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

बहस वकूलाय सुनी गयी। प्रार्थन पत्र व उसमें सम्मिलित सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को नामा. सं. 1666 जरीये खसरा नम्बर 80/3 के नाप में रकबा 3 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जो राजस्व रेकॉर्ड में पेश ना.सं. 1666 से साबित है तत्पश्चात् प्रार्थी ने 01 बीघा भूमि का बैचान अप्रार्थी सं. 2 को कर दिया जो स्वयं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अपने बयानों में कह रहा है इस प्रकार प्रार्थी के पास 2 बीघा भूमि शेष रही जो कि स्वीकृत तथ्य है लेकिन भूलवंश जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय सम्वत् 2036 से 2039 में सहवन से रकबा 5 बीघा इन्द्राज कर दिया गया जिसमें सही करवाने के लिए अप्रार्थी सं. एक ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर में प्रार्थना पत्र सं. 50/2 पेश किया जो पेमाराम/सरकार के रूप में दिनांक 11.09.2002 को निर्णीत हुआ। जिसकी कोई अपील प्रार्थी ने नहीं की थी, व उक्त आदेश का राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करते हुए प्रार्थी का वापस सही रकबा 2 बीघा

उपखण्ड अधिकारी

इन्द्राज किया गया । प्रार्थी मात्र अपने कब्जे के आधार पर भी 5 बीघा का कब्जा है । इसलिए रेवेन्यु रेकॉर्ड में 01 बीघा बेचान के बाद 4 बीघा दर्ज किया जावे व हवाला अशुद्ध रूप से दर्ज इन्द्राज का दिया जा रहा है जो कतई विधि सम्मत नहीं है न्यायालय मात्र कब्जे के आधार पर रेवेन्यु रेकॉर्ड को परे करके निर्णय नहीं दे सकता । न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थी को नामान्तरण सं. 1666 के जरीये 3 बीघा का आवंटन हुआ था जिसमें प्रार्थी ने 01 बीघा का बेचान कर दिया व प्रार्थी के पास शेष 2 बीघा रहनी चाहिए जो प्रार्थी के पास है । इसलिये शुद्धी का कोई प्रकरण नहीं बनता है व पत्रावली में पेश फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.07.2016 के अनुसार प्रार्थी का अपनी 2 बीघा भूमि पर कब्जा काशत होना व मकान बना हुआ होना बताया गया है । इस प्रकार प्रार्थी का तरमीम शुद्धी का प्रार्थना पत्र भी मेन्टेबल नहीं है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से तथा नामा.सं. 1666 में खसरा नम्बर 80/3 के रूप में 3 बीघा भूमि ही आवंटन होने से उसी अनुसार रेवेन्यु रेकॉर्ड में इन्द्राज होने से व कब्जा काशत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 एल.आर.एक्ट मेन्टेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
बीनास नगर (जायपुर)

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्तु दाखिल दफतर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
बीनास नगर (जायपुर)

